न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 04/2013/अजमेर (2013/00019)

गुलकमर खान पुत्र गुलाम रसूल खान निवासी ग्राम गगवाना तहसील अजमेर।

अपीलान्ट

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।

रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत नियम 18 शस्त्र अधिनियम 1959 विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर आदेश क्रमांक कअ/न्याय/ 2013/39 दिंनाक 13–02–2013

———

उपस्थितः 1–श्री लेखू मंघानी अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक 22–6–2018

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के नाम 12 बोर डी.बी. बी.एल. गन नम्बर 6932 व डी.बी.एम.एल. गन नम्बर 2264 का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या आउट/23/2003 था जो जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने जारी किया था जो वर्ष 2002 से नवीनीकरण होता आ रहा था। उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण 19–8–2012 तक था। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष आगामी तीन वर्ष हेतु नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। आवेदन पत्र पर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने जिला पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट चाही। जिला पुलिस अधीक्षक ने अपीलांट के चरित्र संबंधी कोई विपरीत रिपोर्ट नहीं की। उन्होंने अपीलांट के नाम प्रकरण संख्या 167/2011 अन्तर्गत धारा 323, 341, 324, 325, 326 आईपीसी दर्ज हाकर जैर ट्रायल होने के आधार पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र आगे की अवधि के लिए नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा कर दी। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 13–2–2003 को आदेश पारित कर अपीलांट के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या आऊट 23/2003 को अपीलांट के विरूद्ध विचाराधीन फौजदारी प्रकरण को माननीय न्यायालय के निर्णय होने तक तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया।

उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट के राजकीय अभिभाषक बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर का आदेश दिनांक 13–2–2013 न्याय, नियम व रिकार्ड में उपलब्ध दस्तावेजी प्रमाणों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17(1) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि लाईसेंस को रिवोक/निलम्बन/निरन्त संबंधी आदेश पारित करने से पूर्व लाईसेंसधारी को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक माना गया है। इसलिए उक्त अपीलाधीन आदेश आर्म्स एक्ट की धारा 17(1) व (3) के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है। उक्त आदेश में लाईसेंस के नवीनीकरण नहीं करने के कोई कारण अंकित नहीं किये गये है। जिला मजिस्ट्रेट ने केवल जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर की रिपोर्ट को आधार बनाकर आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित किया है कि उनका लाईसेन्स रिन्यू नहीं कर निलम्बित किया गया है। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (3)(बी) में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि पूर्व में जारी आर्म्स लाईसेन्स उन्हीं परिस्थितियों में निलम्बित/रिवोक किया जा सकता है जहां जन सुरक्षा तथा पब्लिक पीस के लिए आवश्यक हो। इन प्रावधानों में यह स्पष्ट किया गया है कि केवल जन सुरक्षा तथा पब्लिक पीस के लिए ही लाईसेंस निरस्त किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट ने कभी भी लाईसेंसशुदा हथियार का दुरूपयोग नहीं किया है तथा न ही अपीलांट के विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कोई प्रकरण विचाराधीन है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर से अपीलांट के चरित्र संबंधी रिपोर्ट चाही थी। जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर ने केवल अपीलांट के नाम से प्रकरण संख्या 167/2011 अन्तर्गत धारा 323, 341, 324, 325, 326 आईपीसी दर्ज होना बतलाया तथा उक्त प्रकरण जैर ट्रायल होना भी रिपोर्ट में अंकित किया है। अपीलांट द्वारा जब शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था तब उनको किसी भी फौजदारी मामलें में दण्डित नहीं किया गा था। केवल फौजदारी मुकदमा विचाराधीन या दोषसिद्धि के आधार पर शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त नहीं किया जा सकता है। इस बारे में आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17(3)(बी) में यह स्पष्ट

व्यवस्था है कि पूर्व में जारी लाईसेन्स उन्हीं परिस्थितियों में निलम्बित/रिवोक किया जा सकता है जहां जन सुरक्षा तथा पब्लिक पीस के लिए आवश्यक हो। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपने निर्णय में अपीलांट के हथियार से जन सुरक्षा या पब्लिक पीस के लिए खतरा होना या अंदेशा तक नहीं जताया है। इसलिए उक्त आदेश निरस्तनीय है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17(3) में यदि लाईसेंस निरस्त करने हेतु कार्यवाही की जाती है तो लाईसेंसिंग अथोरिटी को उपधारा–5 में कारण बताने होंगे कि लाईसेंसी के पास हथियार होने से किन कारणों से जन सुरक्षा को खतरा है। अपीलांट के विरूद्ध एक मुकदमा जो कि दो वर्ष पूर्व का है और केवल इस कार्यवाही से जन सुरक्षा को खतरा होने का आधार मानना किसी भी स्थिति में उचित व विधिसम्मत नहीं है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की खण्डपीठ ने 2005(2) Cr.L.R.(Raj) पृष्ठ 907 में प्रकाशित निर्णय डी.वी. स्पेशल अपील (रिट) संख्या 576/2003 में पारित निर्णय दिनांक 18–1–2015 एवं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2006 (3) Criminal Court Cases पृष्ठ 503 में प्रकाशित निर्णय पिटीशन नम्बर 13164/2003 व दिनांक 8–11–2005 विरेन्द्र पाल सिंह बनाम उत्तरप्रदेश राज्य के प्रकरण में स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि फौजदारी प्रकरण लम्बित होने या उसमें Involvement होने पर भी आयुद्ध लाईसेन्स निरस्त नहीं किया जा सकता

राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–9) विभाग जयपुर के परिपत्र प–1(13) गृह–9/2006 दिनांक 16–2–2006 के बिन्दु संख्या 5 में शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण करने से पहले बिन्दु संख्या 5.2(1) से 5.2(12) में वर्णित बिन्दुओं की पालना करने पर ही लाईसेंस आगे रिन्यू करने की व्यवस्था है। इसमें आर्म्स रूल्स के नियम 3 व 4 का भी उल्लेख है तथा परिशिष्ठ 10 में वर्णित शपथ पत्र भी दिये जाने की व्यवस्था है। बिन्दु संख्या 5 में वर्णित शर्तो की अवहेलना का अपीलांट दोषी नहीं है। इसी प्रकार शपथ पत्र में जो 1 से 5 बिन्दु है इनमें से कोई भी बिन्दु अपीलांट के विपरीत नहीं है।

जिला पुलिस अधीक्षक ने अपीलांट के विरूद्ध विचाराधीन मुकदमा संख्या 167/2011 के लम्बित होने के आधार पर अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की है और जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने केवल पुलिस अधीक्षक की इस रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के नाम का अनुज्ञा पत्र निरस्त किया है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प–1 (13) गृह–9/2006 दिनांक 16–2–2010 को अवलोकन करे। इस परिपत्र के पैरा संख्या 7 में राज्य सरकार द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 16–12–2006 के बिन्दु संख्या 8–1 में संशोधन किया गया हैं। अब यह प्रावधान किया गया है कि अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण व निरस्तीकरण के प्रकरणों में आयुद्ध अधिनियम के आधार पर कार्यवाही के निर्देश दिये है। परिपत्र दिनांक 16–12–2006 के इस प्रावधान को हटा दिया गया है कि

यदि किसी के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज है तो ऐसे अनुज्ञाधारी का लाईसेंस तुरन्त निरन्त किया जावे। इस प्रकार परिपत्र दिनांक 16–2–2010 के प्रावधान प्रभाव में आने के बाद पुलिस अधीक्षक अजमेर की रिपोर्ट निष्प्रभावी हो गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर का आदेश निरस्तनीय है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपीलांट ने कभी भी हथियार का दुरूपयोग नहीं किया हैं आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत कभी भी कोई मुकदमा अपीलांट के विरूद्ध दर्ज नहीं है। अपीलांट के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 110, 115 (3) या 151 के तहत शांति भंग का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। किसी भी न्यायालय ने आज तक शांति बनाए रखने के लिए अपीलांट को पाबन्द कर बॉन्ड नहीं भरवाए गए है फिर भी लोक शांति भंग करने की आशंका बताकर हथियार का लाईसेन्स निरस्त किया गया है जो विधिविरूद्ध है।

अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर की पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाते है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर की रिपोर्टे पत्र क्रमांक 1243 दिनांक 29.9.12012 मे अंकित है कि अपीलांट गुल कमर खान पुत्र श्री गुलाम रसूल खान निवासी गगवाना के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 167/11 धारा 323, 341, 324, 325, 326 भा.द.स. में पुलिस थाना गेगल पर दर्ज हुआ जिसमें बाद अनुसंधान जरिये चालान संख्या 94/12 दिनांक 25–8–2012 को पेश किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है। अतः शस्त्र अनुज्ञा पत्र का अगली अवधि के लिए नवीनीकरण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने के आधार पर आवेदक को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किये जाने की अनुशंषा की है। उक्त आधार पर ही जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं करने के आदेश पारित किये है। जो विधिसम्मत है।

मैने अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला मजिस्ट्रेट अजमेर ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रेषित कर जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करने हेतु रिपोर्ट प्राप्त की। जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर की रिपोर्टे पत्र क्रमांक 1243 दिनांक 29.9.12012 मे अंकित है कि अपीलांट गुल कमर खान पुत्र श्री गुलाम रसूल खान निवासी गगवाना के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 167/11 धारा 323, 341, 324, 325, 326 भा.द.स. में पुलिस थाना गेगल पर दर्ज हुआ जिसमें बाद अनुसंधान जरिये चालान संख्या 94/12 दिनांक 25–8–2012 को पेश किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा अपीलांट को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अपीलांट द्वारा वक्त

सुनवाई उक्त प्रकरण में राजीनामें हेतु कार्यवाही विचाराधीन होना अवगत कराया जिस पर आवेदक को राजीनामा बाबत लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया आवेदक द्वारा इस संबंध में दोनों पक्षों की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किये जाने के शपथ पत्र एवं माननीय न्यायालयों को राजीनामा हेतु प्रेषित पत्रों की प्रतियां प्रस्तुत की गई। जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उक्त प्रकरण में अपीलांट के विरूद्ध आरोपित धाराएं राजीनामें राजीनामें योग्य नहीं होना दर्शाते हुए प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर की रिपोर्ट एवं आयुद्ध अधिनियम की धारा 17(3)(बी) के अनुसार प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या आउट 23/2003 माननीय न्यायालय के निर्णय होने तक तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है। अपीलांट द्वारा उनके विरूद्ध न्यायालय में विचाराधीन मुकदमा नम्बर 167/11 धारा 323, 341, 324, 325, 326 भा.द.स. में आगामी क्या कार्यवाही अमल में लाई गई है, के बाबत कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक कअ/न्याय/2013/39 दिनांक 13–2–2013 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अजमेर) का अपीलाधीन आदेश क्रमांक/ कअ/न्याय/2013/39 दिनांक 13–2–2013 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 22–6–2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर